न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 200/20

प्रार्थी :– ओमप्रकाश पुत्र तुलसाराम जाति खटीक निवासी बालोतरा हाल जागसा तह० पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री रूगाराम कडवासरा प्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :–11.08.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा जागसा पटवार हल्का–जागसा के खसरा नं0 1840/308 रकबा 41.05 बीघा कृषि साधनों के उपयोग–उपभोग व आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या –1 की भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 108.07 बीघा किस्म बा. सोमय में संलग्न नजरी नक्शें परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता 30 फीट आम रास्ता तक आवागमन एवं कृषि उपयोग करवाना चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 16.12.2020 नोटिसेज जारी किये गये। सरकारी पैरोकार उपस्थित । तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 17.02.2021 को जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र कंमाक/राजस्व/2020/305 दिनांक 17.02.2021 की न्यायालय को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा जसोल पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 1840/308 रकबा 41.05 बीघा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन [illegible] 307 में से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो [illegible] एवं उपयुक्त है मौके पर खाली एवं विवादरहित [illegible] डी0 एल0सी0 दर 40500/ रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल [illegible] 01–17 बीघा भूमि बनती है। जिसके अनुसार कुल राशि दुगुना की दर से 74940/ रूपये बनते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:46 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मण्डापुरा की जमाबदी सवंत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम मौजा जागसा पटवार हल्का–जागसा के खसरा नं0 1840/308 रकबा 41.05 बीघा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न0 307 में से चाही गयी .है । मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल कुल रकबा 01–17 बीघा भूमि बनती है। चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा जागसा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 1840/308 रकबा जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा जिनके विप्रार्थी के खसरा न0 307 में से 1.17 बीघा भूमि प्रार्थी को आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 40,500/ रूपये प्रति बीघा के अनुसार है जिसकी दुगनी दर से 1,50,000/– रूपये बनते है । विप्रार्थी को अदा करे, विप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
[illegible] अधिकारी
[illegible]लोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.8.2021 को [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned with CamScanner